

15/11/19
15/11/19
15/11/19

solid waste management 2016 rules 12
Direction
राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जो-2 राजस्थान 2016-17 एरिया सिविल लाईन्स प्रावधानों के तहत जयपुर।

फोन - 0141-2229003, ई-मेल - dlbr@rajasthan.gov.in के साथ - www.tsg.urban.rajasthan.gov.in
फैक्स - F55(I)/CE/DLB/SBM/2019/54-22-613 - 54-22-613 दिनांक - 22/02/19

जिला कलक्टर (समस्त)
राजस्थान।

अति - 311 - 275

विषय :- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के नियम 12 की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय न्यायालय NGT के निर्देशानुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की पालना सुनिश्चित किया जाना है, इस क्रम में SWM 2016 के नियम संख्या 12 में जिला कलक्टर के कर्तव्य वर्णित है, जो कि निम्नानुसार है।

(क) जिले में स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाओं की स्थापना करने के लिए स्थानीय निकायों के वास्ते उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करना और उन्हें महानगर एवं जिला योजना समितियों या नगर एवं ग्राम योजना विभाग के माध्यम से राज्य/शहरों की मास्टर योजना में शामिल कराना।

(ख) अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान पर कम से कम तीन माह में एक बार स्थानीय निकायों द्वारा की गयी के अनुपालना का पुनर्विलोकन करना और निदेशक या नगरपालिका प्रशासन के आयुक्त और प्रभारी सचिव के साथ परामर्श करके उपचारात्मक उपाय करना।

माननीय न्यायालय एन.जी.टी के निर्देशानुसार उक्त नियमों की पालना में आगामी-पेशी में जवाब प्रस्तुत किया जाना है, अतः आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 की पालना में प्रभावी कार्यवाही कराते हुये पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक :- 22/02/19

क्रमांक :- F55(I)/CE/DLB/SBM/2019/54-22-613

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. उपनिदेशक क्षेत्रिय (समस्त), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. आयुक्त/अधिकाधिकारी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त को भेजकर लेख है कि जिला मुख्यालय की समस्त नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिकाधिकारी अधिकारी सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर से सामंजस्य कर उक्त नियमों की पालना सुनिश्चित करेगे।
5. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता